झारखण्ड सरकार ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषय:— झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सम्पोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना (AAY) की स्वीकृति के संबंध में।

झारखण्ड सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अन्तर्गत राज्य के लगभग 16 लाख (सोलह लाख) तथा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 50 हजार (पचास हजार) लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। फिर भी राज्य में ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है, जो गृहविहीन है या कच्चे घरों में रह रहे हैं। ऐसे गरीब लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य संपोषित योजना के रूप में "अबुआ आवास योजना" (AAY) प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- उक्त नयी योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2023—24 में किया जाएगा। अबुआ आवास योजना (AAY) के अन्तर्गत तीन कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा। पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के तहत देय राशि (1.20/1.30 लाख प्रति आवास) अन्तर्गत दो कमरों सिहत स्वच्छ रसोई घर के निर्माण का प्रावधान था। राज्य सरकार द्वारा AAY अन्तर्गत तीन कमरों सिहत स्वच्छ रसोई घर का प्रावधान किया गया है। अतएव योग्य लाभुक के लिए AAY अन्तर्गत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर दो लाख (2,00,000/—) रू० का प्रावधान किया गया है। साथ ही लाभार्थी को मनरेगा अन्तर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्त्तमान मजदूरी दर (समय—समय पर संशोधित) पर अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के समतुल्य राशि AAY अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु प्राप्त होगा। आगामी तीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023—26) में कुल 8,00,000 इकाई आवास आवंटित किये जाऐंगे, जिसके तहत क्रमशः प्रथम वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023—24) में 02 लाख, द्वितीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024—25) में 3.5 लाख एवं तृतीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025—26) में 2.5 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा।
- 3. निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवारों को लाभ दिया जाएगा :-
 - i. कच्चे घरों में रहने वाले परिवार (निर्धारित अंक-2)।
 - ii. आवासविहीन एवं निराश्रित परिवार (निर्धारित अंक-2)।
 - iii. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) के परिवार (निर्धारित

अंक−1)।

- iv. प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार (निर्धारित अंक-1)।
- v. कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर (निर्धारित अंक-1)।
- vi. वैसे परिवार, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण / बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना / बिरसा आवास योजना / इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो (निर्धारित अंक-1)।

उपर्युक्त पात्रता मापदंड के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जाएगी। अधिकतम मापदंडों को पूरा करने वाले परिवारों को उनकी विशेष श्रेणी (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य) में अधिकतम अंक प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई विशेष परिवार छः मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे 8 अंक मिलेंगे और उसे अपनी श्रेणी में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। इसी प्रकार पात्र परिवारों को 1—8 के बीच प्राथमिकता अंक आवंटित किया जाएगा और आगे सभी को प्राप्तांक के आधार पर रैंक दिया जाएगा और प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। ग्राम सभा में स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

- (ख) स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक परिवारों को समान अंक मिलते हैं, यानी बराबरी की स्थिति में प्राथमिकता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तय की जाएगी:
 - i. परिवार, जिसमें कोई वयस्क सदस्य नहीं हो।
 - ii. दिव्यांग सदस्य वाले परिवार।
 - iii. महिला प्रधान परिवार, जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो।
- 4. इस योजना का लाभ वैसे लाभुकों को नहीं दिया जाएगा, जो निम्नांकित मापदंड के अंतर्गत आते हैं (Exclusion Criteria) :
 - i. वैसे परिवार, जिनके पास पूर्व से पक्का आवास हो अथवा दिनांक— 01.01.1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण/बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना/बिरसा आवास योजना/इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ प्राप्त हुआ हो।
 - ii. जिनके पास चार पहिया वाहन / मछली पकड़ने वाली नाव हो।
 - iii. तीन पहिया / चार पहिया वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण हो।
 - iv. जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी / अर्धसरकारी (सेवारत / सेवानिवृत) नौकरी में हो।
 - v. जिस परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया हो।

- vi. परिवार का कोई सदस्य आयकर (Income Tax) दाता हो।
- vii. परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर (Professional Tax) दाता हो।
- viii. परिवार में रेफ्रिजरेटर हो।
- ix. वैसे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि, न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ हो।
- x. वैसे परिवार, जिनके पास 5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि हो।
- 5. यह योजना पूर्णतः राज्य संपोषित है। इस योजना हेतु तीन वित्तीय वर्षों की कुल लागत राशि ₹16320.00 / करोड़ (सोलह हजार तीन सौ बीस करोड़) रूपये है। कुल लागत राशि रू० ₹16320.00 करोड़ (सोलह हजार तीन सौ बीस करोड़) में से कुल ₹320.00 करोड़ (तीन सौ बीस करोड़) रूपये प्रशासनिक मद हेतु कर्णांकित होगा। इस योजना हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राशि यथा 1287.00 करोड़ की व्यवस्था РМАУ-G में राज्यांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2023—24 में उपबंधित अवशेष राशि से की जायेगी। РМАУ-G के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए अभी तक कोई भौतिक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण राज्यांश के रूप में उपबंधित 1287.00 करोड़ (बारह अरब सत्तासी करोड़) रूपये अवशेष है। अतः उक्त राशि को प्रत्यर्पित करते हुए अनुपूरक आगणन के माध्यम से समतुल्य राशि का उपबंध प्रस्तावित नयी योजना हेतु किया जाएगा। शेष राशि (₹2819.67 करोड़) रूपये का अतिरिक्त बजट उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से किया जाएगा।

तीन वर्षो के लिए भौतिक लक्ष्य तथा राशि की आवश्यकता निम्न प्रकार होगी :--

वित्तीय वर्ष	भौतिक लक्ष्य	अपेक्षित राशि
	(आवास की संख्या)	(प्रशासनिक मद सहित)
2023-24	2,00,000 इकाई	4106.67 करोड
2024—25	3,50,000 इकाई	7106.67 करोड़
2025—26	2,50,000 इकाई	5106.66 करोड़

- 6. आवास निर्माण के लिए सभी किस्तें डी०बी०टी० (Direct Benefit Transfer) आधारित प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
- 7. योजना अंतर्गत एक नया पोर्टल तैयार किया जाएगा एवं जिसका उपयोग AAY के क्रियान्वयन, निगरानी, अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन तैयार करने में किया जाएगा।
- 8. (क) AAY के तहत आवास निर्माण के लिए ₹2,00,000 / (दो लाख रूपये) प्रति इकाई की दर से लाभुकों को सहयोग राशि का भुगतान किया जाएगा।

आवास निर्माण के लिए निम्न चार (4) किस्तों में राशि प्रदान की जाएगी :--

किस्त	किस्त की राशि	अनुमान्य निर्माण कार्य
प्रथम किस्त		आवास स्वीकृति के पश्चात प्रथम किस्त प्राप्त होने के
	सहयोग राशि का	उपरांत प्लिन्थ स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण करना। प्लिन्थ
	15 प्रतिशत	स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही लाभुक
		द्वितीय किस्त प्राप्त करने योग्य हो जाएगा।
		द्वितीय किस्त की राशि से लिंटल स्तर तक आवास का
द्वितीय किस्त	सहयोग राशि का	निर्माण पूर्ण करना। लिंटल स्तर तक आवास का निर्माण
	25 प्रतिशत	पूर्ण होने पर लाभुक तृतीय किस्त प्राप्त करने योग्य हो
		जाएगा।
		तृतीय किस्त की राशि से छत की ढलाई,
तृतीय किस्त	सहयोग राशि का	दरवाजा–खिड़की, लोगो लगवाना इत्यादि का कार्य करते
	50 प्रतिशत	हुए आवास निर्माण को पूर्ण करना। इसके साथ ही लाभुक
		चतुर्थ किस्त प्राप्त करने योग्य हो जाएगा ।
चतुर्थ किस्त	सहयोग राशि का 10 प्रतिशत	आवास पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गमन।

- (ख) आवास का निर्माण लाभार्थी स्वयं अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से करेंगे। आवास निर्माण में किसी भी बिचौलिए को शामिल नहीं किया जाएगा और बिचौलिए का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
- (ग) अभिसरण के माध्यम से लाभुक को केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का लाभ योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।
- 9. इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लाभुकों को निर्मित आवास के मुख्य द्वार के समीप नागरिक सूचना बोर्ड (Citizen Information Board) लगाना अनिवार्य होगा।
- 10. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि को राज्य नोडल खाते (SNA) में संधारित किया जाएगा, जिससे आवश्यकतानुसार राशि की विमुक्ति की जाएगी।
- 11. योजना का सफल क्रियान्वयन एवं निगरानी, ग्रामीण विकास विभाग में परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही IT PMU द्वारा योजना के बेहतर प्रबंधन हेतु ई—गवर्नेंस/प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) हेतु पोर्टल, डैशबोर्ड इत्यादि विकसित की जाएगी।
- 12. जिला स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी उपायुक्त होंगे।
- 13. इस योजना हेतु माँग संख्या—42—ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य शीर्ष 2515 के अन्तर्गत नये शीर्ष का सृजन वित्त विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

- 14. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि को SNA खाते में संधारित किया जाएगा, जिससे आवश्यकतानुसार राशि की विमुक्ति की जाएगी। SNA-SPARSH लागू होने के पश्चात् SNA के स्थान पर SNA-SPARSH के माध्यम से भूगतान किया जाएगा।
- 15. प्रस्ताव एवं तत्संबंधी संलेख तथा क्रियान्वयन मार्गदर्शिका (SOP) प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
- 16. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा सहमति दी गई है।
- 17. प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई है।
- 18. प्रस्ताव एवं क्रियान्वयन मार्गदर्शिका (SOP) प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-18.10.2023 को सम्पन्न बैठक के मद संख्या-24 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित की जाए।

> राज्यपाल के आद्रेश से झारखण्ड

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- 10-AAY-47/2023 ग्राठविठ / 4545,

राँची, दिनांक - 20110/2023

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची की सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्रवाई हेतू प्रेषित।

ज्ञापांक :- 10-AAY-47/2023 ग्रा०वि०/ 4545,

राँची, दिनांक - 20/10 2023

प्रतिलिपि :- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी उप विकास आयुक्त / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ज्ञापांक :- 10-AAY-47/2023 ग्रा०वि० / 4545,

प्रतिलिपि :- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करते हुए ई-गजट के रूप में ग्रामीण विकास विभाग को सूचना उपलब्ध करायें।

सरकार के सचिव।